डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 अगस्त, 2021, डिस्पेच दिनांक 1 अगस्त, 2021

| वर्ष 65 | अंक 5 | भोपाल | 1 अगस्त, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

"आइसोवा" महिला स्व-सहायता समूह के उत्पादों की मार्केटिंग करे

महिला सशक्तीकरण मेरे जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आइसोवा की वेबसाइट का लोकार्पण किया ● श्रीमती साधना सिंह ने ई-मैगजीन "विस्तार" का विमोचन किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिला सशक्तीकरण मेरे जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य है। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरूआत से ही मैं बेटियों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रहा हूँ। जब मैं विदिशा सांसद था, तब मैंने कई बेटियों को गोद लिया। उनमें से तीन बेटी का कन्यादान गत दिनों किया है। इस कार्य में मेरी धर्मपत्नी मेरा पूरा सहयोग करती है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट काल में 'आइसोवा' की सदस्यों ने समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। वे न केवल घर से भोजन बनाकर लोगों को खिलाती थीं अपितु, अन्य कई प्रकार से समाज की सेवा भी करती थी। आइसोवा अपनी वेबसाइट के माध्यम से महिला स्व–सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग करे तो उन्हें अच्छा बाजार उपलब्ध हो जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिंटो हाल में मध्यप्रदेश आई.ए.एस. ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन (आइसोवा) की वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्रीमती साधना सिंह ने आइसोवा की ई–मैगजीन 'विस्तार' का विमोचन भी किया।

मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का हाथ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सही है कि हर पुरूष की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है। मेरी सफलता की पीछे भी मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हर कार्य में मेरा सहयोग किया है।

सबसे बड़ा आश्चर्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युधिष्ठिर एवं यक्ष के प्रश्नोत्तर में जीवन का यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि हर व्यक्ति को पता है कि वह एक दिन मरेगा, उसके बाद भी वह ऐसा व्यवहार करता है कि उसे हमेशा रहना है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। व्यक्ति को अपने जीवन में एक–एक क्षण का बेहतर उपयोग कर अपने जीवन को अनमोल व महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। मैं भी निरंतर यह प्रयास करता हूँ कि मेरा एक–एक क्षण जनता के कल्याण तथा प्रदेश के विकास के लिए खर्च हो।

दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आइसोवा निरंतर समाज सेवा के कार्य करता रहता है। दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। जीता वो है जो देश, समाज एवं ओरों के लिए कार्य करता है।

अंकुर अभियान में भागीदारी करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वृक्ष जीते–जागते ऑक्सीजन संयंत्र हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को समृद्ध किया जाए।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मुख्यमंत्री श्री चौहान से मुलाकात के बाद नाबार्ड का प्रभावी कदम

नाबार्ड के चेयरमेन डॉ. चिंतला ने ओंकारेश्वर में ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ किया

भोपाल। खण्डवा जिले के पुनासा ब्लॉक के ओंकारेश्वर में नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सिद्धा ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ हुआ। ग्रामीण मार्ट में लगभग 180 स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बिक्री के लिये रखा जायेगा। नाबार्ड के चेयरमेन डॉ. जी.आर. चिंतला ने ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ कर बताया कि पूरे भारत वर्ष में 13 करोड़ महिलाएँ स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। एक दूसरे की सलाह से समूह को अच्छी सफलता मिल सकती है। डॉ. चिंतला ने कहा कि समूह के सभी सदस्य मन लगाकर कार्य करेंगे तो उनके द्वारा किया गया हर कार्य सफल होगा। आज का छोटा सा कैफे कल बड़ी होटल में परिवर्तित हो सकेगा।

हाल ही में हुई थी मुख्यमंत्री से मुलाकात

उल्लेखनीय है कि नाबार्ड के चेयरमेन डॉ. जी.आर. चिंतला ने 22 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डॉ. चिंतला से महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर सहयोग करने की बात कही थी। चर्चा में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विकास, माइक्रो इरीगेशन, डेयरी विकास, सरदार सरोवर बाँध से अधिक से जल प्राप्त करने, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, जिला सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण आदि क्षेत्रों में मध्यप्रदेश सरकार के साथ कार्य की संभावनाओं के मुद्दे शामिल थे।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

लाड़ली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

"बेटी बोझ नहीं बुढ़ापे का सहारा है" का विचार समाज में स्थापित करें

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। समाज में यह धारणा स्थापित करना है कि बेटी बोझ नहीं बुढ़ापे का सहारा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत लाड़लियाँ, सशक्त, समर्थ, सक्षम और आत्म-निर्भर बनकर समाज में योगदान दें, इसके लिए लाड़ली लक्ष्मियों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, स्व-रोजगार आदि के लिए हरसंभव मार्गदर्शन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल संवर्धन और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

जीवित समाज के रहते कोई कैसे अनाथ हो सकता है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 328 बाल हितग्राहियों के खाते में 16.40 लाख रु. अंतरित किये ● प्रत्येक जिले में पालक अधिकारी नियुक्त करने के दिये निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक से 16 लाख 40 हजार रुपये की राशि 328 बाल हितग्राहियों के खाते में अंतरित की। उन्होंने कहा कि एक जीवित और जागरूक समाज के रहते हुए कोई कैसे अनाथ रह सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के हितग्राहियों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह, भोजन के लिए राशन की व्यवस्था, शिक्षा के लिए भारत में कहीं भी शिक्षा का वहन राज्य सरकार करेगी।

चिन्ता न करें आपका मामा आपके साथ है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर के अंतर्गत इंदौर, राजगढ़, सिवनी, बैतूल, मंदसौर, सतना एवं ग्वालियर के 13 बच्चों और अभिभावकों से वर्चुअली चर्चा की। उन्होंने बताया कि बाल सेवा योजना में माता-पिता अथवा घर में कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु हो जाने से उनके आश्रित बच्चों को प्रति सदस्य 5 हजार रुपये प्रति माह, राशन एवं उनकी

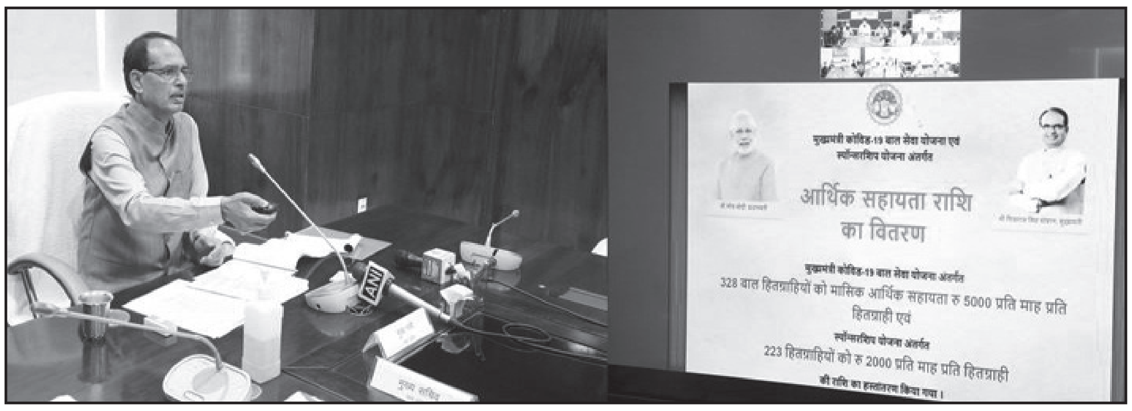

शिक्षा संबंधी सभी जिम्मेदारियाँ राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। बच्चों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी यदि अन्य कोई आवश्यकता होगी, तो कलेक्टर्स उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल के लिए हर जिले में एक पालक अधिकारी नियुक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जीवित समाज के रहते कोई कैसे अनाथ हो सकता है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा दुनिया में अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को बचपन में ही खो दिया था परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वे आगे बढ़े और इतने आगे बढ़े कि समाज के पथ प्रदर्शक बनें। गोस्वामी तुलसीदास, विवेकानंद, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन आदि गुरू शंकराचार्य, मिल्खा सिंह, नेल्सन मंडेला, स्टीव जाव्स सहित अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में दुनिया को दिशा दिखाई।

कलेक्टर इंदौर के संज्ञान पर मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

कलेक्टर इंदौर श्री मनीष सिंह द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान के संज्ञान में लाया गया कि एक प्रकरण में बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों की दादी ने उनके माता-पिता के मकान को जिसकी लागत लगभग एक करोड़ थी, औने-पौने दाम में 40 लाख रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया। इस पर प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर प्रकरण में कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तुरंत सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरणों के सामने आने पर तुरंत कार्रवाई कर हितग्राहियों की सम्पत्ति को सुरक्षित एवं संरक्षित करें। माता-पिता की संपत्ति उनके बच्चों के नाम ही हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कलेक्टर इंदौर की पहल को अनुकरणीय बताया।

स्पॉन्सरशिप योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 223 हितग्राहियों को दो हजार रुपये प्रतिमाह प्रति हितग्राही के रूप में 4 लाख 46 हजार रुपये की राशि अंतरित की गई। हितग्राही जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु एक मार्च 2021 से पहले हुई हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना का सरलीकरण किया गया।

फोस्टर पेरेन्ट्स योजना के तहत किया मोटिवेट

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा ग्वालियर की श्रीमती विभा अनेजा एवं सुश्री ज्योति भावना से चर्चा की गई। श्रीमती विभा द्वारा, स्वयं के बच्चे होते हुए भी 2 बालिकाओं को फोस्टर केयर पर लिया गया। इसके बाद एक बालिका, जो पोक्सो पीड़ित थी, को फोस्टर केयर पर लिया गया था। बालिकाओं को शिक्षा के साथ पढ़ाई और व्यवसायिक प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसके अलावा ज्योति भावना की अशासकीय संस्था द्वारा 8 बालिकाओं को फोस्टर केयर में लिया गया है, जिन्हें दो हजार रूपये प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

अगस्त माह के पहले सप्ताह से थैलों में मिलेगा उचित मूल्य राशन : मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में नवम्बर माह तक नि:शुल्क राशन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगस्त माह के पहले सप्ताह से पात्र हितग्राहियों को 10-10 किलो राशन थैलों में प्रदाय किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो नि:शुल्क राशन तथा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 5-5 किलो राशन (1 रूपए किलो की दर पर) प्रदाय किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में आगामी 7 अगस्त को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर समारोहपूर्वक राशन का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। इस दिन उचित मूल्य दुकानों पर मंत्री, सांसद, विधायक तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहकर कार्य सम्पन्न कराएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के राशन वितरण संबंधी कार्य की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू

लाल सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह गरीबों का राशन है। इसमें जो भी व्यक्ति गड़बड़ी करेगा उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र व्यक्ति को निर्धारित मात्रा में नि:शुल्क एवं उचित मूल्य राशन थैले में प्राप्त हो। कार्य में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि उचित मूल्य दुकानों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाए। सभी दुकानों की रंगाई-पुताई एवं सफाई हो। निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सभी सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बैनर लगाया जाए। माप एवं तौल कांटों का प्रमाणीकरण किया जाए।

राशन वितरण में प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख 46 हजार 59 परिवारों के 4 करोड़ 89 लाख 89 हजार 855 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इन्हें प्रदेश की 25 हजार 423 उचित मूल्य दुकानों से राशन का प्रदाय किया जाएगा।

काम के अनुसार दी जाएगी बेरोजगारों को ट्रेनिंग - मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में युवाओं को रोजगार के अनुसार ट्रेनिंग दी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास पर क्रिस्प के अधिकारियों के साथ प्रदेश में युवाओं को "रोजगार के अवसर" विषय के प्रस्तुतिकरण पर चर्चा कर रहे थे।

एक लाख युवाओं को प्रतिमाह रोजगार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रतिमाह एक लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने पर 54 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि मेरा रोजगार से आशय केवल इंजीनियर या डाक्टर जैसे उच्च पदों से ही नहीं है बल्कि एक फल का ठेला लगाने वाले को यदि रोजगार के लिए हम ऋण उपलब्ध करवाते हैं और वो अपना काम करता है तो वह भी रोजगार की श्रेणी में आता है।

12 हजार युवाओं को ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मेरे बुरहानपुर प्रवास के दौरान स्थानीय 12 हजार युवाओं ने स्वयं के लिए रोजगार के प्रस्ताव दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें भी काम के अनुरूप ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वे अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें।

ट्रायबल क्षेत्र में युवाओं को ट्रेनिंग- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ट्रायबल क्षेत्र में युवाओं को ट्रेनिंग उनकी "जरूरत और क्षमता" के अनुसार दी जाए। क्रिस्प द्वारा प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा था। एक वर्ष में 25 हजार युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा और आगामी पाँच वर्षों में एक लाख 25 हजार युवाओं को रोजगार के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी।

ग्रामीण उद्यमी- प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि ग्रामीण उद्यमी योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्थानीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार छोटे बड़े कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कृषि से जुडे कार्य आदि के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा।

सहकारिता से बनेगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

भारत शासन द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रूपये के लिए कृषि अधोसंरचना निधि स्थापित की गई है। इसके द्वारा फसल कटाई के बाद की समस्त कृषि गविविधियॉ जैसे ग्रेडिंग, सोर्टिंग , कृषि उपज भंडारण, कृषि उपज प्रसंस्करण तथा कृषि उपज भंडारण, कृषि उपज प्रसंस्करण तथा कृषि आधारित अन्य गतिविधियों के लिए 2 करोड़ रू. की अधिकतम सीमा के अंतर्गत परियोजनाऍ स्वीकृत की जा रही हैं। यह परियोजनाएँ निजी कृषक कृषि आधारित कंपनी, सहकारी संस्थाएँ आदि योजना में हितग्राही हो सकती हैं इससे रोजगार का सृजन, कृषकों की आय में वृद्धि तथा कृषकों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने और कृषि उपज को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश होगी जिससे कृषकों की आय में वृद्धि भी होगी। इस योजना के अंतर्गत दिये जा रहे ऋण के लिए शासन द्वारा प्रतिभूति/गारंटी दी जाएगी तथा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सहकारिता विभाग प्रदेश के 4548 पैकस संस्थाओं और 272 विपणन में से निर्धारित पात्रता की शर्तो को पूरा करने वाली संस्थाओं में से निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाली संस्थाओं को इस योजना में शामिल कर रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही के पास प्रस्तावित योजना स्थापना के लिए स्वयं की भूमि आवश्यक है तथा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी भी हितग्राही को लगाना पड़ेगी।

इस योजनांतर्गत पैक्स संस्थाओं को 1 प्रतिशत ब्याज दर नाबार्ड के माध्यम से प्राप्त होगा। प्रदेश के 4548 पैक्स संस्थाएँ पात्र पाई गई हैं। इन पात्र संस्थाओं को परियोजना का चयन तथा परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य नाबार्ड की सहयोगी संस्था नेबकॉन द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में नेबकॉन द्वारा 234 परियोजनाएँ रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई हैं जिसमें से 224 परियोजनाएँ स्वलीकृत हो चुकी हैं। कोरोना में लॉकडाउन की स्थितियों के बावजूद योजना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा हैं।

पैक्स संस्थाओं को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा

मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए विभिन्न कार्य किये जा रहे है जिसमें प्रदेश की 4548 पैक्स संस्थाओं में से चयनित पैक्स संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिंगल विंडो के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चयनित पैक्स संस्थाओं को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा जिसमें आत्मनिर्भर भारत योजनांतर्गत कृषि आधारित इकाइयों की स्थापना, आर.व्ही.वाय. योजनांतर्गत पैक्स संस्थाओं के गोदामों का निर्माण शत–प्रतिशत अनुदान पर किया जाएगा इसके अतिरिक्त चयनित पैकस संस्थाओं को ग्रामीण जनता के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इसमें एमपी–ऑनलाइन की ई–सेवाएँ कृषि विभाग एवं राजस्वविभाग की सेवाएँ और ई–मार्केटिंग तथा वेयर हाउसिंग की सुविधाएँ भी दी जाएँगी। इस हेतु 1872 पैक्स संस्थाओं का चयन किया गया है जिसमें पैक्स संस्थाओं का अधोसंचना का विश्लेषण कर 492 पैक्स की आवश्यकताओं का आकलन जारी है। इसके लिए 2930 कर्मचारियों का क्लासरूम तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस हेतु आर.के.व्ही.वाय. योजनांतर्गत 140 गोदामों के निर्माण हो रहे हैं। शेष सोर्टिंग ग्रेडिंग, प्रसंस्करण उपार्जन केन्द्रों के प्लेटफार्म का निर्माण किया जा रहा है। कृषि आधारित विभिन्न कंपनियों के साथ भी पैक्स संस्थाओं के व्यवसाय को लाभप्रद ढंग से संचालित करना प्रस्तावित है।

सहकारी साख संरचना

सहकारी साख संरचना से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण की व्यवस्था करने वाली संरचना से है जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था (पैक्स), जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (पुराने मध्यप्रदेश के 38 जिलों में) तथा राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक है। यह तीनों संस्थाएँ स्वशासी तथा पृथक–पृथक निकाय है।

पैक्स संस्थाओं की कार्यपद्धति

ग्रामीण स्तर की पैक्स संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्र में सभी तरह के ऋणों का वितरण, बचत काउंटर का संचालन, कृषि आदान की व्यवस्था, कृषि उपज का उपार्जन, विभिन्न शासकीय योजनाओं का संचालन तथा सार्वजनिक वितरण

डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया
मंत्री, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग

प्रणाली का संचालन कर रही हैं। इन संस्थाओ को व्यवसाय के लिए पूँजी शत–प्रतिशत जिला बैंक के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। इन पैक्स संस्थाओ को उनकी आवश्यकताओ की पूँजी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त होती हैं। पैक्स संस्थाओ द्वारा वितरित अल्पावधि फसल ऋण का 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पूँजी की प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा अपेक्स के माध्यम से जिला बैंको में की जाती हैं। यदि जिला बैंके अपनी पूँजी तथा नाबार्ड की पूँजी के बाद भी पैक्स की पूँजी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती हैं तो अपेक्स बैंक अपनी निधियों से जिला बैंको को ऋण देता हैं। यदि क्षेत्र के कृषको की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो जाती हैं तो अल्पावधि फसल ऋण को मध्यावधि एवं दीर्घावधि ऋण की प्रतिपूर्ति जिला बैंक द्वारा पूरी की जाती हैं। यदि जिला बैंक के पास स्वयं की पूँजी नही होती है तो वह अपेक्स बैंक तथा नाबार्ड से प्रतिपूर्ति प्राप्त होती हैं।

प्रदेश में पैक्स संस्थाओ के कार्य व्यवसाय को पारदर्शी बनाकर कृषकों के साथ होने वाली गड़बड़ियों को समाप्त करने के लिए पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही जारी हैं।

सहकारी साख संरचना द्वारा संचालित शासकीय योजनाऍ शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण :–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के कृषकों को पैक्स संस्थाओं के माध्यम से अल्पावधि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अर्थात् बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाता हैं। कृषको को अल्पावधि फसल ऋण वितरण हेतु अधिकतम 3 लाख रू0 की सीमा निर्धारित है जो कृषक द्वारा धारित भूमि रकबा तथा बोई जाने वाली फसलो के आधार पर राज्य शासन द्वारा बनाई गई ऋण नीति एवं ऋण मानकों के आधरार पर कृषकवार साख सीमा बनाई जाकर उसको केसीसी दिया जाता हैं। जिसमें निर्धारित साख सीमा तक बनाई जाकर उसको केसीसी दिया जाता हैं। जिसमें निर्धारित साख तक सीमा तक पैक्स से ऋण ले सकता हैं। अल्पावधि फसल ऋण हेतु 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा कृषकों को दिया जाता हैं। इस प्रकार भारत शासन से प्राप्त ब्याज अनुदान के आधार पर कृषक को अल्पावधि फसल ऋण बिना ब्याज मिलता है तथा कृषक को निर्धारित ब्याज दर के अनुरूप ब्याज अनुदान प्राप्त हो जाता हैं।

कृषि आदान की आपूर्ति :– पैक्स संस्थाएं प्रदेश में अल्पावधि फसल ऋण नकद एवं वस्तु रूप में देती हैं जिसमे रासायनिक उर्वरक एवं बायो उर्वरक ,बीज एवं कृषि कार्य हेतु आवश्यक अन्य उपकरण ऋण के रूप में कृषको को प्रदान किये जाते हैं। इस हेतु राज्य शासन द्वारा विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाया गया हैं। इसलिए पैक्स संस्थाओ कृषि आदान की समस्त सामग्री से निर्धारित दर पर क्रय कर निर्धारित दर पर कृषको को उपलब्ध कराती हैं।

कृषि उपज का समर्थन मूल्य पर उपार्जन :– अधिकांशतः समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसो, उडद, मूँग, धान तथा मोटे अनाजो का उपार्जन खाद्य विभाग के अभिकर्ता के रूप में किया जाता हैं। देश में कृषि उपजो के उपार्जन में पंजाब के बाद मध्यप्रदेश का दूसरा स्थान हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन:– प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन अधिकाशंतः पैक्स संस्थाओ द्वारा ही किया जा रहा है। इन्हें वितरण योग्य सामग्री नागरिक आपूर्ती निगम द्वारा पूर्ति की जाती है। इस व्यवसाय के संचालन हेतु प्रति दुकान प्रतिमाह 8400 रू0 खाद्य विभाग द्वारा दिये जाते हैं जिसमें 6000 रू0 विक्रेता का वेतन तथा 2400 रू0 दुकान संचालन का व्यय होता हैं। यह कार्य पैक्स संस्थाएं खाद्य विभाग के अभिकर्ता के रूप में संचालित करती हैं।

सहकारिता में रोजगार के नए अवसर

सहकारिता आंदोलन को परंपरागत क्षेत्रो के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रो में स्थापित कर रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जाएंगे।

(1) ग्रामीण औद्योगिकीकरण : ग्रामीण क्षेत्र की सर्वाधिक गंभीर समस्या कृषि के आतंरिक रोजगार के अवसर की अनुपलब्धता है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र से शहरो की ओर पलायन हो रहा हैं। इस पलायन के कारण शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचनाऍ बढ़ती जनसंख्या का बोझ नही उठा पर रही हैं और शहरी क्षेत्रो में रोजगार के सीमित अवसरो में ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगो को पर्याप्त अवसर भी नहीं मिल पा रहा हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रो में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा हैं। इन समस्याओ के निदान हेतु एकमात्र विकल्प हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर ग्रामीण क्षेत्र से लोगो को पलायन रोकते हुए ग्रामीण जनता की आय में वृद्धि कर ग्रामीण परिवेश की आर्थिक उन्नति करना संभव होगा। इसके लिए ग्रामीण सहकारी औद्योगिकीकरण की व्यवस्था करना प्रस्तावित हैं जिसमें प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक ग्रामीण औद्योगिक समिति बनाकर प्रत्येक पंचायत पर 50 से 100 लोगो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) उद्यानिकी संघ का गठन कर फल, साग–सब्जी उत्पादक एवं उपभोक्तओं को लाभ देना एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करना :– कृषि क्षेत्र में फल,साग–सब्जी उत्पादको को उनके उत्पादन का उचित मूल्य न मिला पाना तथा उपभोक्ताओं को यही सामग्री अत्यधिक उच्च मूल्य पर मिलना हैं। वर्तमान समय में बिचौलियों सर्वाधिक लाभान्वित हो रहे हैं। बिचौलियों को व्यवस्था से अलग करने के लिए सहकारिता ही एकमात्र माध्यम है।इसके लिए त्रिस्तरीय सहकारी संरचना बनाना प्रस्तावित हैं। इसके लिए फल, साग–सब्जी उत्पादक क्लस्टर में प्राथमिक उद्यानिकी समिति बनाई जाएगी।जो कृषको को उनके उत्पाद का उचित मूल्य देते हुए उत्पादन का संग्रहण किया जाएगा तथा उसे जिला स्तर पर गठित उद्यानिकी संघ को सौंपा जाएगा।

(3) ग्रामीण परिवहन में सहकारिता क्षेत्र में रोजगार के अवसर:– म.प्र. राज्य परिवहन के समाप्ति के उपरांत निजी क्षेत्र के परिवहन कर्ता लाभप्रद मार्गो पर परिवहन की उत्तम व्यवस्था स्थापित की गई किंतु ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की अपर्याप्त या नगण्य व्यवस्था हैं।

देश में पहली बार मध्यप्रदेश में दूध टैंकरों पर लगेंगे डिजिटल ताले

पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने की को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा

भोपाल। दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिये एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम लगायेगा। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने आज डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया कि ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। श्री पटेल ने कहा कि लम्बे समय से दूध के टैंकरों में मिलावट की शिकायतें मिल रही थीं। इससे मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगेगा और दूध की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। अपर मुख्य सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रबंध संचालक श्री शमीमुद्दीन और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि अप्रैल-जून, 2021 में प्रदेश के दुग्ध संघों द्वारा 8 लाख 35 हजार 959 लीटर दूध संकलित किया गया। इनमें भोपाल दुग्ध संघ द्वारा 2 लाख 87 हजार 333, इंदौर दुग्ध संघ द्वारा 3 लाख 12 हजार 369, उज्जैन दुग्ध संघ एक लाख 37 हजार 122, ग्वालियर दुग्ध संघ 22 हजार 290, जबलपुर दुग्ध संघ 49 हजार 285 और बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा 27 हजार 560 लीटर दूध का संकलन किया गया। इस अवधि में दुग्ध संघों द्वारा 5 लाख 99 हजार 810 लीटर दूध का विक्रय किया गया, जिनमें सर्वाधिक विक्रय 2 लाख 82 हजार 299 भोपाल दुग्ध संघ द्वारा और 2 लाख 11 हजार लीटर इंदौर दुग्ध संघ द्वारा किया गया।

विक्रय से बचा हुआ 2 लाख 36 हजार 149 लीटर दूध दूसरे राज्यों को भेजा गया।

मध्यप्रदेश द्वारा देश में सबसे सस्ती सौर ऊर्जा का कीर्तिमान

आगर के बाद शाजापुर में सबसे सस्ती सौर ऊर्जा मिलेगी

भोपाल। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों का मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा स्थापना में विश्वास बढ़ा है। मात्र एक हफ्ते पहले आगर सौर ऊर्जा प्लांट परियोजना के लिये प्रदेश की सबसे कम बिड 2.444 और 2.459 रुपये प्रति यूनिट प्राप्त करने के बाद आज शाजापुर सोलर प्लांट के लिये निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया। सुबह 11 बजे शुरू हुई बिडिंग ने कुछ ही घंटे में देश में महाराष्ट्र के सबसे कम टैरिफ 2.42 और 2.43 रुपये प्रति यूनिट को पार कर लिया। दो रुपये 70 पैसे से दो रुपये 78 पैसे प्रति यूनिट के बेस टैरिफ पर शुरू हुई ऑनलाइन बिडिंग प्रक्रिया शाम 6 बजे तक शाजापुर सोलर प्लांट की पहली इकाई के लिये 2.37 रुपये, दूसरी 2.38 रुपये और तीसरी ऐतिहासिक टैरिफ 2.36 रुपये प्रति यूनिट पर पहुँच गई।

राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के मध्य न्यूनतम टैरिफ की बिडिंग प्रतिस्पर्धा जारी

सुविधा और नीतियों के चलते प्रदेश के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ा - मंत्री श्री डंग

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि निवेशकों के मध्यप्रदेश में बढ़ते रुझान का कारण उनको दी जाने वाली सुविधाएँ, समय पर शत-प्रतिशत भुगतान, भूमि की आसान उपलब्धता आदि हैं। निवेशकों के लिये भूमि का उपार्जन शासन द्वारा पहले ही पूरा कर लिया गया है। सोलर प्लांट बंजर और बेकार शासकीय भूमि पर स्थापित किये जा रहे हैं, किसानों की उपजाऊ भूमि नहीं ली गई है। श्री डंग ने कहा कि नवीन स्थापित होने वाले प्लांटों से सस्ती सौर ऊर्जा मिलने से आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश और भारत के लक्ष्य पूर्ति को सुदृढ़ता मिलेगी। 1500 मेगावॉट की आगर-शाजापुर-नीमच सोलर परियोजना से भारतीय रेल को ऊर्जा प्रदाय की जायेगी। भविष्य में सस्ती ऊर्जा का लाभ प्रदेश, देश और आम उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

मंत्री श्री डंग ने बताया कि शाजापुर जिले में 1800 करोड़ रुपये के निजी निवेश से कुल 450 मेगावॉट की 3 यूनिट (105, 220 और 125 मेगावॉट) स्थापित की जायेंगी। इन परियोजनाओं की विशेषता यह है कि इनमें शासकीय धन का निवेश नहीं होगा, जो अन्य विकास और कल्याणकारी कार्यों में काम आ सकेगा। लगभग 900 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होने वाली परियोजना की स्थापना के दौरान 4 हजार 500 और संचालन में 450 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। परियोजना से मार्च-2023 में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है।

रिवर्स बिडिंग में न्यूनतम टैरिफ के आधार पर चुनी गई 13 कम्पनियाँ- टाटा पावर, रि-न्यू पावर, बीमपाव एनर्जी, एनटीपीसी, अयाना रिन्युएबल पावर, टोरेंट पावर, एसजेवीएम लिमिटेड, अज्यूर पावर, अल्जोमेह एनर्जी, एक्मे सोलर, स्प्रिंग ओजस, टेल्टुआई सोलर और अवाड़ा एनर्जी भाग ले रही हैं।

मंत्री श्री डंग द्वारा ऐतिहासिक उपलब्धि के लिये अधिकारी-कर्मचारियों की सराहना

मंत्री श्री डंग ने कहा कि सोलर पावर के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में लगातार बुलंदियाँ छू रहा है। इसमें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का सराहनीय योगदान है। बिडिंग के दौरान विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे, प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम श्री दीपक सक्सेना भी उपस्थित थे।

युवाओं को रोजगार के लिये 25 लाख रुपये का मिलेगा ऋण - मंत्री श्री पटेल

भोपाल। ग्रामीण युवाओं को अनाज की ग्रेडिंग, क्लीनिंग, ग्रेडिंग प्लांट, दाल मिल, राइस मिल इत्यादि के लिये 25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें शासन की ओर से 40 प्रतिशत का अनुदान भी मिलेगा। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने गुरुवार को मध्यप्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। इस अवसर पर संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी भी मौजूद थे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मध्यप्रदेश कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित करने संबंधी योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 250 कस्टम प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। श्री पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित "कृषि अधोसंरचनात्मक फण्ड" अंतर्गत कस्टम प्रोसेसिंग योजना के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जायेंगे। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि नवीन कस्टम प्रोसेसिंग योजना ग्राम स्तर पर उपज की ग्रेडिंग करेगी और किसान भाई अलग-अलग ग्रेड के आधार पर अपनी उपज मण्डी में बेच सकेंगे। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है। प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा खातेदार हैं।

इनमें से लगभग 80 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सशक्तिकरण के लिये अधिक से अधिक अवसर सृजित होंगे।

मंत्री श्री डंग द्वारा मत्स्य-पालकों को बाइक, ऑटो, मोपेड और आइस बॉक्स का वितरण

भोपाल। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने आज अपने प्रभार के जिले बालाघाट में प्रथम प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में मत्स्य-पालकों को 140 मोटर साइकिल, 5 ऑटो रिक्शा, 6 मोपेड, 100 साइकिल और आइस बॉक्स के लिये राशि के चेक वितरित किये। श्री डंग ने कहा कि मत्स्य-पालक इससे कम समय में मछलियाँ गाँव, बाजार और घर-घर तक पहुँचा सकेंगे। मछलियाँ खराब होने से बचेंगी। परिणाम स्वरूप उनकी आय में वृद्धि होगी। श्री डंग ने संबंधित अधिकारियों को योजना का लाभ दूरस्थ क्षेत्र के मछुआरों तक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे और पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री डंग ने मछुआरों का आव्हान करते हुए कहा कि वे मत्स्य-पालन के साथ ही अपने बच्चों की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दें। श्री डंग ने प्रतीक स्वरूप बैहर के शैलेन्द्र टेकाम को बॉयो फ्लॉक के लिये 4 लाख 50 हजार रुपये, पाण्डेवाड़ा के वेदराम रहांगडाले को नवीन तालाब के लिये 2 लाख 20 हजार, किरनापुर की वंदना कावरे को मोटर साइकिल के लिये 45 हजार और डोंगरमाली की रेखाबाई को कियोस्क के लिये 6 लाख रुपये का चेक प्रदान किया। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन कर किया।

बालाघाट मत्स्य-पालन में प्रदेश का अग्रणी जिला है। जिले में 10 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र में मत्स्य-पालन और 68 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया जाता है। योजना के अंतर्गत लाभान्वितों में कुछ महिला हितग्राही भी शामिल थीं, जिनके पति कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए थे। यह सहायता उनकी आजीविका में महत्वपूर्ण होगी।

प्रत्येक गाँव में एप्रोच रोड सहित मुक्तिधाम बनायें

श्री डंग ने मनरेगा के तहत जिले के उन गाँवों में, जहाँ मुक्तिधाम नहीं हैं, वहाँ एक माह के अंदर मुक्तिधाम बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम के ऊपर शेड, प्लेटफार्म और एप्रोच रोड भी बनायें। उन्होंने कहा कि मनरेगा से गाँवों में खेल मैदान भी विकसित करें। गौशाला की आवश्यकता वाले स्थानों का प्रस्ताव शासन को भेजें।

जिला चिकित्सालय का निरीक्षण

पर्यावरण मंत्री श्री डंग ने भगत सिंह जिला चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने परिसर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पौध-रोपण किया। उन्होंने स्टॉफ के साथ ही वहाँ उपस्थित मरीजों से भी चर्चा की।

विभागीय समीक्षा

प्रभारी मंत्री श्री डंग ने कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आम लोगों के लिये निष्ठा और समर्पण की भावना के साथ काम करें। सुनिश्चित करें कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

बाँस पर आधारित पुस्तिका का विमोचन

प्रभारी मंत्री ने वन विभाग द्वारा बालाघाट जिले में बाँस की खेती, उत्पादन और बाँस आधारित उद्योग पर तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन भी किया।

हरदा ई - मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल : मंत्री श्री पटेल

ई-मंडी के रूप में प्रदेश की पहली कृषि उपज मंडी

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि कृषि उपज मंडी हरदा को ई-मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि उपज मंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है। कृषि उपज मंडी हरदा ई-मंडी के रूप में संचालित होने वाली प्रदेश की प्रथम मंडी होगी।

मंत्री श्री पटेल ने बताया है कि कृषि उपज मंडी हरदा में अब किसानों को सभी सुविधाएँ इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगी। इससे पारदर्शिता भी रहेगी और समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया मंडी में प्रवेश द्वार से लेकर नीलामी की प्रक्रिया, अनुबंध-पत्र, टोल पर्ची, भुगतान-पत्र, अनुज्ञा-पत्र सभी इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जाएंगे। पूरा सिस्टम पेपरलेस होकर ऑनलाइन होगा। कृषकों को सारी जानकारियाँ और मैसेज ऑनलाइन भेजे जाएंगे।

मंडी को ई-मंडी के रूप में संचालित करने के लिए सभी अधिकारी-कर्मचारियों को मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में 20 जुलाई को प्रशिक्षण दिया गया है। शीघ्र ही कृषि उपज मंडी हरदा ई-मंडी के रूप में कार्य करने लगेगी।

जैविक खेती संवर्धन के लिए जिला स्तर पर किसानों को करेंगे चयनित: मंत्री श्री पटेल

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित

भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मध्यप्रदेश में जैविक खेती संवर्धन के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में "जैविक मध्यप्रदेश थीम" को आधार बनाते हुए आवश्यक प्रोग्राम तैयार करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर प्रगतिशील किसानों को चयनित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिलों के प्रगतिशील किसानों को एफ़पीओ में शामिल किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों से बाकी किसान भी प्रोत्साहित होकर जैविक कृषि की ओर आगे बढ़ सकेंगे और मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में जैविक कृषि प्रदेश बनाने के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। बैठक में मध्यप्रदेश के जैविक मामलों के विशेषज्ञ और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए।

श्री पटेल ने कहा कि जैविक खेती करने वाले कृषकों को अनुदान पहले ही वर्ष से दिया जाना चाहिए, जिससे किसानों को कठिया, शरबती जैसे गेहूँ को प्रामाणिक रूप से उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने जैविक उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग पर भी जोर दिया। श्री पटेल ने जैविक बाजार को विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

बुरहानपुर में 300 करोड़ की टेक्सटाइल परियोजना स्थापित की जाएगी

बुरहानपुर टेक्सटाइल लि. ने मध्यप्रदेश सरकार को दिया निवेश प्रस्ताव

उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से की मुलाकात

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से बुरहानपुर स्थित कपड़ा निर्माता कम्पनी मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाइल प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बुरहानपुर मध्यप्रदेश में लगभग 300 करोड़ रुपए के निवेश से टेक्सटाइल परियोजना स्थापित करने का निवेश प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री चौहान को सौंपा।

उद्योग प्रतिनिधियों में श्री ओमप्रकाश मित्तल, श्री रवि पोद्दार, श्री वेदांत मित्तल, श्री सुधीर पाटे तथा श्री सुनील मोर शामिल थे। मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाइल लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। कम्पनी की बुरहानपुर में 9 इकाइयाँ कार्यरत हैं। कम्पनी का वित्तीय वर्ष 2020–21 में रूपए 221 करोड़ से अधिक का टर्न ओवर रहा है।

1000 व्यक्तियों को मिलेगा रोजगार

परियोजना के संचालन से लगभग 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इसमें से 200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं लगभग 800 व्यक्तियों को स्व–रोजगार उपलब्ध होगा।

प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें - मंत्री श्री पटेल

15 अगस्त तक चलेगा महाअभियान, "आपकी समस्या का हल-आपके घर"

भोपाल। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जिले के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार दिलाया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए घर-घर जाकर सर्वे किया जाये। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक महाअभियान चलाएँ और हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार लाभान्वित करें। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल ने रविवार को खरगोन के नवीन कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित प्रथम बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए यह बात कही।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना ही उनका एकमात्र ध्येय है। इसके लिए घर-घर जाकर सर्वे कर नागरिकों को उनके घर ही पात्रता अनुसार लाभ उपलब्ध कराएं और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने में सभी विभाग अपना सौ प्रतिशत योगदान दें। यही सुशासन की मूल अवधारणा भी है। बैठक में क्षेत्रीय सांसद श्री गजेन्द्र पटेल भी मौजूद थे।

मंत्री श्री पटेल ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सभी परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि नहरों से संबंधी समस्याओं को दूर करते हुए सभी किसानों को नियमानुसार सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री पटेल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कलेक्टर के निर्देशन में गाँवो की निगरानी समिति के सदस्यों के साथ वर्चुअल मिटिंग करें। कोई भी भूखा न रहे और पात्र लोग अनाज प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अगली बैठक विभागों के समूह बनाकर आयोजित होगी। निर्माण कार्यो से जुड़े सभी विभागों के साथ बैठक होगी, जिसमें निर्माण कार्य की समयावधि, निगरानी रिपोर्ट, लागत और गुणवत्ता से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसी तरह कृषि से जुड़े मुद्दों पर कृषि, उद्यानिकी, मंडी, वेयर हाउस जैसे विभागों के साथ और खनिज के मामले में खनिज, राजस्व और ग्रामीण विकास विभाग की बैठक ली जाएगी।

मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना के हितग्राही आदित्य और अनमोल पटेल से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को पाँच हजार रुपए की सहायता राशि भेंट की। श्री पटेल ने कलेक्टर को बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि खरगोन जिले में कोरोना के कारण अनाथ हुए 15 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनमें आदित्य और अनमोल भी शामिल हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

महिला सशक्तीकरण मेरे जीवन का ....

मैं प्रतिदिन एक पौधा लगाता हूँ। मध्यप्रदेश में वृक्षारोपण के लिए अंकुर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पौधा लगाते हुए अपना फोटो अपलोड करें।

महिला समूहों के उत्पादों को सराहा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई महिला स्व–सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी को देखा व सराहना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिवा स्व–सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई साड़ियों, ओम जय जगदीश हरे समूह द्वारा बनाए गए मुनगा पावडर, व अन्य समूहों द्वारा बनाए गए एलोविरा–नीम पावडर, शहद आदि उत्पादों की सराहना की।

कोविड के दौरान समाज–सेवा की गतिविधियाँ संचालित की

आइसोवा की अध्यक्ष श्रीमती सिमरन बैंस ने कहाकि कोविड के दौरान आइसोवा ने निरंतर समाज सेवा की गतिविधियाँ संचालित कीं। इनमें मरीजों का निरूशुल्क इलाज, फूड पेकेट्स का वितरण, बच्चों के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटर क्लासेस का आयोजन आदि गतिविधियाँ की गईं।

मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रूपए की राशि

आइसोवा की सचिव श्रीमती सीमा सुलेमान ने बताया कि आइसोवा निरंतर सेवा कार्य कर रहा है। कोविड सहायता के लिए संगठन ने 10 लाख रूपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

नाबार्ड के चेयरमेन डॉ. चिंतला ने ...

इसी के साथ मध्यप्रदेश की “एक जिला एक उत्पाद योजना” को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा कृषि उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई थी।

इस अवसर पर हितग्राहियों को स्वयं के व्यवसाय के लिए 27 ग्रुपों को सिलाई, सेंटिंग, सब्जी व्यवसाय, बकरी पालन, किराना दुकान, पत्तल-दोना व्यवसाय आदि के लिए विभिन्न ग्रामों के स्व-सहायता समूहों को राशि के चेक वितरित किए गए। साथ खकनार कृषि विकास प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड बुरहानपुर को 20 लाख रूपये की सहायता मंजूर कर चेक प्रदान किया गया।

स्व-सहायता समूह की महिला सदस्यों ने अपने कार्यों के संबंध में जानकारी दी। डॉ. चिंतला ने कहा कि आप लोगों को अच्छी आमदनी होगी, तो आपके पास पैसा जमा होगा और किसी के सामने हाथ फैलाना नही पड़ेगा, इससे आप स्वयं आत्म-निर्भर बनेंगी। कार्यक्रम में स्व-सहायता समूह द्वारा हस्तकला प्रदर्शनी भी लगाई गई।

नाबार्ड के चेयरमेन डॉ. जी.आर. चिंतला ने पुनासा ब्लॉक के ग्राम भोगांवा में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित के तहत 67 लाख से बनने वाले 2 हजार मीट्रिक टन के गोदाम का भूमि-पूजन भी किया।

(पृष्ठ 1 का शेष)

लाड़ली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार....

इसके लिए योजना को नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान लाडली लक्ष्मी योजना पर मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री अशोक शाह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बालिकाओं की कक्षावार ट्रेकिंग होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत सभी बालिकाओं की शिक्षा की निरंतरता के लिए कक्षावार ट्रेकिंग की जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी बालिका के पहली में प्रवेश लेने से लेकर 12वीं कक्षा तक ट्रेकिंग के लिए पोर्टल विकसित किया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मियों के व्यक्तित्व विकास के लिए उन्हें एन.सी.सी, एन.एस.एस. जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाड़लियों को कॉउंसलिंग और कोचिंग की व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 12वीं कक्षा के बाद लाड़ली लक्ष्मी की रूचि, दक्षता और क्षमता के अनुसार उच्च शिक्षा या तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉउंसलिंग और कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। बालिकाओं को स्टार्टअप, लघु-मध्यम उद्योग और निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए 20 हजार रूपए देने का प्रावधान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में पंजीकृत बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने पर आगे की शिक्षा अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 20 हजार रूपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एक लाख रूपए में से शेष 80 हजार रूपए का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए योजना को स्वास्थ्य और पोषण से भी जोड़ा जाएगा। लाभार्थी बालिकाओं के टीकाकरण, एनीमिया सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य जाँचों की व्यवस्था और पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी के माता-पिता को बालिका कल्याण के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य शासन की ओर से प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इससे माता-पिता में बचत की आदत भीविकसित होगी।

बेहतर लिंगानुपात के लिए पुरस्कार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेहतर लिंगानुपात सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा।

बालिकाओं का आत्म-विश्वास बढ़ाना आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना को केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना तक सीमित नहीं रखा जाए। बालिकाओं को सकारात्मक वातावरण देना और निरंतर प्रोत्साहित करना आवश्यक है। बालिकाओं को यह अनुभव कराना होगा कि वे अपने माता-पिता और समाज के लिए विशेष महत्व रखती हैं। उन्हें विश्वास देना होगा कि वे जीवन में नए आयाम और उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकती हैं।

बालिकाओं के उत्साहवर्धन और उनसे संवाद के लिए होंगे कार्यक्रम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहाकि बालिकाओं के उत्साहवर्धन और उनसे संवाद के लिए प्रतिवर्ष प्रेरणास्पद तीन या चार कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे बालिकाओं का बेहतर व्यक्तित्व विकास भी होगा।

प्रदेश में 39 लाख 37 हजार लाड़ली लक्ष्मियाँ

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 39 लाख 37 हजार बालिकाएँ लाड़ली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत हैं। लाड़ली लक्ष्मी निधि में 9,150 करोड़ रूपए जमा हैं। स्कूल जाने वाली 5 लाख 91 हजार 203 बालिकाओं को 136 करोड़ की छात्रवृत्ति का अब तक वितरण किया जा चुका है। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी अधिनियम 2018 प्रभावशील है। योजना के अंतर्गत वर्तमान में कक्षा 6 में प्रवेश पर 2 हजार रूपए, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4 हजार रूपए, कक्षा 11 में प्रवेश पर 6 हजार रूपए और कक्षा 12 में प्रवेश पर 6 हजार रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बालिका के 12वीं की परीक्षा में शामिल होने और 18 वर्ष की आयु तक विवाह न करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर एक लाख रूपए के भुगतान की व्यवस्था है।

जलाशयों की जल भण्डारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य के जलाशयों की जल भण्डारण क्षमता की पुनर्स्थापना के लिए नीतिगत निर्णय लेते हुए निविदा प्रक्रिया, आधार मूल्य, निविदा अर्हता के मापदण्डों एवं अन्य शर्तों को अनुमोदित किया गया। नीति में संशोधन के बाद मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसमें प्रथम चरण में चार जलाशय से गाद निकालने का टेंडर होगा। इससे 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी। बाँधों का जीवन काल बढ़ेगा। रेत का उपयोग हो सकेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 300 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी।

सीसी टी.व्ही सर्विलांस सिस्टम के लिए 94 करोड़ से अधिक की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में पहले से स्थापित 859 थानों के सीसीटीव्ही सिस्टम के अपग्रेडेशन एवं नवीन 258 पुलिस थानों, 500 पुलिस चौकियों और 42 महिला थानों में नवीन सीसीटीव्ही सर्विलांस सिस्टम स्थापित किये जाने एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए 52 जिला मुख्यालयों में तथा 3 एसआरपी कार्यालयों में सीसीटीव्ही कन्ट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 66 करोड़ 18 लाख 95 हजार 175 रूपये तथा वर्ष 2022-26 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट की सेवाओं को एवं 5 वर्ष की वारंटी / ए.एम.सी. सम्मिलित करते हुए तथा अन्य आवर्ती व्यय राशि 28 करोड़ रूपये इस प्रकार कुल परियोजना लागत राशि 94 करोड़ 18 लाख 95 हजार 175 रुपये की स्वीकृति दी।

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 में उल्लेखित ऐसी भूमियों, जिन पर योजना बनाकर निर्माण करने से नियमित आय होती है- जैसे मार्केट, कॉम्प्लेक्स, बस स्टेंड आदि में से केवल "बस स्टेंड" शब्द को विलोपित किया जाकर उसे "सार्वजनिक प्रयोजन के लिए- जैसे सड़क, उद्यान, खेल का मैदान, फिल्टर प्लांट, कचरा खन्ती (ट्रेंचिंग ग्राउंड), अस्पताल, स्कूल, कार्यालय" के बाद प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया। ये निर्देश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे, परन्तु राज्य सरकार की किसी योजना अंतर्गत सक्षम स्तर से, ऐसी योजना में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, भूमि के निर्वर्तन के मामले में ये निर्देश लागू नहीं होंगे।

छतरपुर में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति

मंत्रि-परिषद ने ताप विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित/ आवंटित भूमि पर एनटीपीसी अथवा उसकी पूर्ण स्वामित्व की कंपनी द्वारा 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल इनर्जी पावर प्रोजेक्ट मोड एवं सीपीएसयू योजना के तहत करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति दी। प्रस्तावित परियोजना से उत्पादित सौर ऊर्जा को 25 वर्ष के लिए 2.45 रूपये प्रति यूनिट की दर पर क्रय करने का प्रथम अधिकार एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी का रहेगा।

केन्द्र सरकार के उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड दवारा बरेठी जिला छतरपुर में 3960 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई थी। इस परियोजना के लिए एनटीपीसी के पास 1148.192 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। ताप विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति एवं कोल लिंकेज प्राप्त नहीं होने के कारण एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध भूमि पर 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य सरकार से भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति चाही गई है।

नया आई.टी.आई.

मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत नये शासकीय आई.टी.आई. की स्थापना विधानसभा क्षेत्र छतरपुर के विकासखण्ड बक्सवाहा में स्वीकृत की है। आई.टी.आई. की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिये 18 करोड़ 43 लाख रूपये व्यय होंगे। नये आई.टी.आई. के लिए कुल 30 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।

दूरसंचार/इंटरनेट सेवाओं की नीति में संशोधन

प्रदेश में नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में दूरसंचार इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में प्रचलित दूरसंचार इंटरनेट सेवाओं के लिए दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना की नीति-2019 एवं दिशानिर्देश 2019 लागू है। मंत्रि- परिषद ने वर्तमान परिदृश्य में दूरसंचार/इंटरनेट सेवाओं के विकास की आवश्यकताओं के दृष्टिगत नीति 2019 एवं दिशा-निर्देश-2019 में संशोधन करने की मंजूरी दी हैं।

दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए उपयोग में ली जाने वाली शासकीय भूमि के लिए कलेक्टर गाइडलाईन दरों के अनुसार संबंधित भूमि/ संपत्ति के लिए निर्धारित मूल्य के 20 प्रतिशत के समतुल्य राशि अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में प्राप्त की जाती है। पृथक-पृथक अवसंरचना स्थल के लिए भुगतान करने वाले अनुज्ञप्ति शुल्क की गणना किया जाना जटिल होने के कारण उक्त प्रावधान का सरलीकरण किया गया है। इस संबंध में शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को सरल करते हुए, कलेक्टर गाइडलाइन के स्थान पर महानगर (इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर), अन्य नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए श्रेणीवार प्रति स्थान (शासकीय भूमि के मामले में) के लिए, महानगर में 50 हजार रूपये, अन्य नगर पालिक निगम में 40 हजार रूपये, नगरपालिका परिषद में 35 हजार रूपये, नगर परिषद में 30 हजार रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 20 हजार रूपये शुल्क का निर्धारण किया गया है।

प्रदेश में जहाँ निजी भूमि/ स्थानीय निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ आयोग आदि की भूमि पर यदि कोई दूरसंचार अवसंरचना बिना अनुज्ञप्ति के स्थापित है तो, नीति-2019 के अंतर्गत पात्रता आने पर सेवा प्रदाता से नीति में प्रावधानित शुल्क के अतिरिक्त 1 लाख रूपये प्रति टॉवर / स्थान के मान से शमन राशि जमा कराने के बाद ऐसी अवसंरचना को नियमित कर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है।

उपरोक्त संशोधनों से प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार होगा, दूरसंचार सेवाओं में वृद्धि होगी तथा जिलों में अनुज्ञप्ति अधिकारी को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

परिसम्पत्ति के विक्रय की मंजूरी

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित की इन्दौर विकास प्राधिकरण से लीज़ पर प्राप्त प्लॉट नं. 151-बी, स्कीम नं. 59, सेक्टर ए-2, अमितेश नगर, बिलावली जोन, जिला इन्दौर स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन हेतु H-I निविदाकार द्वारा उल्लेखित उच्चतम निविदा बोली मूल्य 7 करोड़ 67 लाख 36 हजार रूपये का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा उल्लेखित निविदा मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित के परिसमापक संयुक्त आयुक्त, सहकारिता द्वारा 11 जून 2042 तक लीज़ परिसम्पत्ति के विक्रय पंजीकृत अनुबंध का संपादन तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति पंजी में H-1 निविदाकार के पक्ष में नामांतरण किया जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया

वैज्ञानिक आम आदमी को केंद्र में रखकर व्यावहारिक प्रोजेक्ट पर करें काम- मंत्री श्री सखलेचा

भोपाल : वैज्ञानिकों को रिसर्च परियोजनाओं के अध्ययन का दायरा विस्तृत करते हुए आम आदमी की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को केंद्र में रखकर व्यावहारिक धरातल वाले प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिये। वर्तमान दौर में परियोजनाओं पर व्यावसायिक उद्यमिता के कोण से सोचने की आवश्यकता है। यह बात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने सोमवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के विभिन्न विभागों की विज्ञान परियोजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही।

मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि परिषद् के वैज्ञानिकों को केवल विज्ञान को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहते हुए उद्योगों के लिए उपयोगी परियोजनाओं पर भी काम करना चाहिये। विज्ञान को उद्योगों से जोड़ने पर प्रदेश के विकास की गति और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कम से कम समय में पूरे होने वाले और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में विचार करने की जरूरत है।

परिषद के महानिदेशक डॉ.अनिल कोठारी ने बताया कि परिषद् द्वारा डोंगला स्थित वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला और उज्जैन तारामंडल को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय छवि स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं का उद्देश्य रिसर्च के साथ ही लोगों का सामाजिक विकास भी है।

225 करोड़ की लागत से वेयर हाउस के गोदामों का होगा उन्नयन : खाद्य मंत्री श्री सिंह

प्रत्येक जिले से एक-एक लाख हितग्राहियों को और जोड़ा जाएगा

भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदेश के गोदामों के उन्नयन के लिए 225 करोड़ रूपये की योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि नि:शुल्क राशन वितरण के अंतर्गत सूची में 55 लाख लोगों को ओर जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार एक जिले से एक लाख लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत सूची में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि चिन्हित 28 श्रेणियों के यदि अन्य कोई परिवार या सदस्य शेष हों तो उनके नाम नियमानुसार एसडीएम के माध्यम से जुड़वाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप मंत्री श्री सिंह प्रति सोमवार को आयोजित खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी एवं वेयर हाऊसिंग लॉजिस्टिक हब के अध्यक्ष श्री राहुल सिंह लोधी, प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज़ अहमद किदवई, संचालक खाद्य एवं प्रबंध संचालक वेयर हाऊसिंग लॉजिस्टि कार्पोरेशन श्री तरूण पिथोड़े एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री अभिजीत अग्रवाल भी उपस्थित थे।

श्री तरूण पिथौड़े ने बताया कि नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत अभी तक एक करोड़ 15 लाख 46 हजार 59 परिवार के 4 करोड़ 89 लाख 86 हजार 455 सदस्य इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। कोरोना काल में माह सितंबर 2020 के बाद से 12 लाख 57 हजार 955 परिवारों के 44 लाख 62 हजार 778 नवीन सदस्य इस योजना में जोड़े गए।

गेहूँ का बम्पर उपार्जन

श्री पिथौड़े ने बताया गया कि इस वर्ष 469 उपार्जन केन्द्रों पर 128.16 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया। इसमें से 128.13 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का परिवहन किया जाकर सुरक्षित गोदामों में पहुँचाया गया। उपार्जन के लिए 17.16 लाख किसानों ने पंजीयन कराया। 25 हजार 303 करोड़ की राशि किसानों के खातों में ऑन लाईन भुगतान स्वरूप डाली गई।

गोदामों का होगा उन्नयन

प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि वेयर हाउस गोदामों का उन्नयन के तहत 126 स्थानों को अंतिम रूप दिया गया। 22 स्थानों पर स्थित केप गोदामों के स्थान पर कवर्ड गोदाम के निर्माण और 16 स्थानों पर नये गोदाम बनाए जायेंगे। रि-डेंसिफिकेशन के तहत सतना में 1.85 एकड़ में विकास योजना तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत 23 गोदामों को चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। गोदामों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत उद्योगों के अनुकूल गोदामों को तैयार किया जाएगा। गुना एवं देवास में 7 करोड़ 84 लाख रूपये की लागत से गोदाम तैयार किये जायेंगे। इसके साथ भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए 33 स्थानों को चिन्हित किया गया है।

बैठक में बताया गया कि वेयर हाउस भण्डारण क्षमता में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2021-22 में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 में भण्डारण क्षमता जहाँ 119.21 लाख मीट्रिक टन थी वर्ष 2020-21 में 161.22 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। वहीं वर्ष 2021-22 में भण्डारण क्षमता 208.54 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच गई।

खाद्यान्न गेन - लॉस

प्रबंध संचालक ने कहा कि वर्ष 2019-20 में वेयर हाउस में भण्डारित गेहूँ में नमी आदि के कारण 1.02 प्रतिशत गेन किया वहीं चावल 0.53 प्रतिशत लॉस एवं धान में 3.27 प्रतिशत लॉस रहा। जबकि वर्ष 2020-21 में गेहूँ के गेन 0.54 प्रतिशत रहा। वहीं चावल में 0.48 प्रतिशत एवं धान में 3.22 प्रतिशत लॉस रहा।

कृषि क्षेत्र को मजबूती देने में भाकृअप की महत्वपूर्ण भूमिका

नईदिल्ली। केन्द्रीय कृषि मंत्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये सुधार किसानो के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। देश भर के किसानो द्वारा इन कृषि सुधारों का लाभ लेने पर उनके लिए ये क्रांतिकारी साबित होगें, साथ ही अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान भी बढ़ेगा तथा इसमें और मजबूती आएगी।

केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने यह बात भाकृअनुप के 93 वें स्थापना दिवस व पुरस्कार वितरण समारोह में कही। किसानों की लागत घटाने, मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान देने, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाने पेस्टीसाइडस का इस्तेमाल कम करने जैविक –प्राकृतिक खेती करने सहित कृषि क्षेत्र की संपूर्ण प्रगति की दिशा में भाकृअनुप का विशेष महत्व व योगदान हैं, जिसने देश को खेती की नई उंचाईयो तक पहुंचाया है। श्री तोमर ने कहा कि भाकृअनुप द्वारा सफलता पूर्वक 92 वर्ष पूरे करना बहुत बड़ी उपलब्धि हैं। कृषि क्षेत्र देश के विकास व अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, इसका मेरुदंड है, इसी के आसपास अर्थव्यवस्था के बाकी आयाम होते हैं। श्री तोमर ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए कृषि वैज्ञानिको का अभिनंदन किया।

विशेष अतिथि केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन मंत्री और भाकृअनुप के उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि भाकृअनुप ने भारत की कृषि प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देते हुए राष्ट्र को खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया हैं बल्कि अनेक उत्पादों के मामले अग्रणी निर्यातक देश भी बनाया गया हैं।

कार्यक्रम में किसान सारथी नामक सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित इंटर फेस मंच भी जारी किया गया हैं, जो राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के साथ साथ स्थानीय स्तर पर कृषि का समर्थन करने के लिए एक बुद्धिमतापूर्ण, कुशल ऑनलाइन कृषि प्रौद्योगिकी मंच हैं। किसान सारथी कृषि विज्ञान केन्द्र, संस्थान और मुख्यालय से शुरू होने वाले परस्पर संवादात्मक नियंत्रण पट्ट (डेसवोर्ड) के माध्यम से प्रत्येक स्तर की निगरानी व प्रतिवेदन (रिर्पोटिंग) के लिए सुविधा प्रदान करता हैं।

इस अवसर पर भाकृअनुप ने कृषि संस्थानो को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कृषि औद्योगिकीयों के अनुप्रयोगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार व किसानो द्वारा नवाचार और औद्योगिकी विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिये हैं। विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम हुए कार्यक्रम में 16 विभिन्न श्रेणियों में 60 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में चार संस्थान, एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, 4 केवीके 39 वैज्ञानिक और 11 किसान शामिल हैं। भाकृअनुप के उप महानिदेशक (कृषि विस्तार) डॉ. ए.के.सिंह ने आभार व्यक्त किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।